File No.A-12034/1/2022-Estt.VII │ 🥄 ↑ Government of India Central Water Commission

Room No.528(N), Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110066 Dated:- 2น¹¹ปanuary, 2022

To,

All Chief Engineers/Superintending Engineer/Directors/Executive Engineers of Subordinate Offices of CWC.

Sub:- Advertisement for filling up of 3 posts of Assistant Engineer(Civil) and 5 posts of Assistant in Farakka Barrage Project, a sub-ordinate office under Department of Resources. River Development & Ganga Rejuvenation deputation(including short term contract) basis.

Sir,

I am directed to refer to Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation's letter No.A-60015/5/2021-E.III/80/21 dated 22-12-2021 on the subject mention labove and to forward herewith the vacancy circular (in Hindi and English) for filling up of following posts on deputation (including short term contract) basis in Farakka Barrage Project, Murshidabad, a sub-ordinate office under the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation:-

- 05(Five) posts of Assistant in the Pay Matrix level-6(Rs.35400-(i) 112400/-
- 03(three) posts of Assistant Engineer(Civil) in the Pay Matrix Level-(ii) 7(Rs.44900-142400/-)
- Interested official may send their application through proper channel to the 2. General Manager, Farakka Barrage Piroject, PO-Farakka Barrage Distt. Murshidabad, West Bengal alongwith relevant documents as per details contained in Para-9 & 10 of said vacancy circular.

Yours faithfully,

Encl:- As above.

(Anil Kumar Yadav) **Under Secretary** L.O. Estt.VII

Bryndan

2011-29583352







No.A.60015/5/2021-E.III /80/24

भारत सरकार

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

Ministry of Jal Shakti

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Chun- On Town

Ci (Mkm) Sz 28/12

Bir (Adm)

By e-Mail / IMMEDIATE / BY SPEED POST

shakti गंगा संरक्षण विभाग Plopment and Ganga Rejuvenation Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, dated 22nd December, 2021

То

1. The Secretaries of all Ministries/Department of the Government of India

2. Chief Secretaries of all State Governments/Administrators of Union Territories

3. All organizations under the Department of WR, RD & GR

Subject: Advertisement for filling up of 3 posts of Assistant Engineer (Civil) and 5 posts of Assistant in Farakka Barrage Project, a sub-ordinate office under Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation on deputation (including short term contract) basis.

Sir.

I am directed to refer to the subject mentioned above and to forward the herewith vacancy circular (in Hindi and English) for filling up the following posts on deputation (including short term contract) basis in Farakka Barrage Project, Murshidabad, a sub-ordinate office under this Department:-

(i) (5 (five) posts of Assistant in the Pay Matrix level -6 (Rs . 35400-112400/-)

(ii) 3 (three) posts of Assistant Engineer (Civil) in the Pay Matrix level -7 (Rs. 44900-142400-/)

2. This may be given wide circulation in various units of your organization.

Encl.: As above.

Yours faithfully.

(A.K. Kaushik)

Under Secretary to the Government of India

Tele:23714350

E-Mail: use3-mowr@nic.in.

445/2021/US(E-X)

57mo-12 EVII 2 80 (E/K)

03/1/22

So li vircula

sh. Rawin

A-60015/5/2021-E-III Government of India Ministry of Jal Shakti



Department of Water Resources. River Development and Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, Dated New Delhi, 22nd December 2021

Applications are invited for filling up 5 (five) posts of Assistant in the Pay Matrix level -6 (Rs . 35400-112400/-) by deputation (including short -term contract) in Farakka Barrage Project, a subordinate office under MoJS . DoWR . RD&GR.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

Responsible for fulfilling the file works assigned to him by Section Officers regarding establishment, general administration, vigilance, estate, procurement, budget, finance, coordination, etc. and to keep vigil on file management and movement of files

ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation : (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union Territories Administrations or Public Sector Undertaking/Statutory Organisations/Universities:

- (i) holding analogous posts on regular basis: or
- (ii) with 10 years regular service in the Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix in the parent cadre/department: and possessing Degree from a recognised University.
- **Note 1**: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed three years.
- Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- Note 3: The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of Central Government shall be not exceeding three years

- 5. <u>AGE</u>: The maximum age limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- 6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.
- 7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.
- 8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post-in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II). dated 17 06.2010 (as amended from time to time).

- 9. Applications with full particulars of the applicant in Annexure-I to IV should reach to the General Manager, Farakka Barrage Project. P.O. Farakka Barrage, Dist. Murshidab (West Bengal) 742212 within 60 days from the date of issue of this circular or publication of this advertisement in the Employment News whichever is later. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.
- 10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma as given in <u>Annexure-2</u> (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance as given in <u>Annexure-3</u>(iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years as given in <u>Annexure-4</u> and (v) Integrity Certificate as given in <u>Annexure-5</u> and (vi) Cadre Clearance.
- 11. The details of advertisement and the application forms can also be downloaded from the FBP's website www.fbp.gov.in.

(A.K. Kaushik)

Under Secretary to the Government of India

Tel. 23714350

Name of Post

2. Number of Posts .

3. Classification : Assistant, Farakka Barrage Project

05 (Five)

General Central Service Group 'B' Non-Gazetted

Ministerial-

4. Pay Band/Grade Pay

5. Period of deputation : Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.

The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of Central Government shall be not exceeding three '

vears.

6. Duties and responsibilities

of the post

Responsible for fulfilling the file works assigned to him by Section Officers regarding establishment. general administration. vigilance. procurement, budget, finance, coordination, etc. and to keep vigil on file management and

movement of files

7. Pay & Allowances The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

8. Qualifications, Experiences

and Eligibility required for the post

Deputation: (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territories Administrations Public Sector Undertaking/Statutory Organisations/Universities:

- (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with 10 years regular service in the Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix in the parent cadre/department; and possessing Degree from a recognised University.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed three years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

The maximum age limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

9. Age

Bio Data Proforma

- 1. Name and address (in Block Letters) : Telephone Number :
- 2. Date of Birth (in Christian era):
- 3. Date of retirement under Central Government Rules:
- 4. Educational Qualifications:
- 5. Whether educational and other qualifications required for the posts are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to those prescribed in the rules, state the authority for the same)

| Qualifications / Experience | Qualifications / Experience possessed by the Officer |
|-----------------------------|--|
| Required | |
| Essential | |
| Desirable | |

- 6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post.
- 7. Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

| | Office/Institution/ organisation | Post held and service / cadre to which it belongs | From | То | Pay in the pay band and classification of post | Nature of duties |
|--|-------------------------------------|--|------|----|--|------------------|
|--|-------------------------------------|--|------|----|--|------------------|

- 8. Nature of present employment, i.e.,
 - (i) Ad-hoc basis
 - (ii) Regular / on temporary basis
 - (iii) Pay in the Pay Band
 - (iv) Grade Pay drawn
- 9. In case the present employment is held on deputation / contract basis, please state:
 - (a) The date of initial appointment
 - (b) Period of appointment on deputation / contract
 - (c) Name of the parent office/organisation to which you belong
- 10. Additional details about present employment. Please state whether working under:
 - (a) Central Government
 - (b) State Government
 - (c) Autonomous organisation
 - (d) Government Undertaking
 - (e) Universities
- 11. Are you in the Revised Pay Structure? If yes, give the Date from which the revision took place and also Indicate the pre-revised scale
- 12. Total emoluments per month now drawn:
- 13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.
- 14. Whether belonging to SC/ST
- 15. Remarks

Date

-It is certified that information furnished by the applicant is verified with his / her service record and found correct.

Countersigned with office seal by the authorized signatory of the parent office

Signature of the Competent Authority

VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE

| pending | or | C | ontemplated | oroceédings is either against |
|---|--------------------|-------------------|---|----------------------------------|
| Dr./Shri/Smt./Ms | .,, | | | , who |
| has applied for t | he post of $_{}$ | | | in the on deputation |
| basis. | | | | on deparation |
| | | | Name & Office S Date: | Authorised signatory) Seal : |
| | ÷ | | | Annexure-4 |
| | NO P | ENALTY CERT | IFICATE | |
| Certified that no in Dr./Shri/Smt./Ms has applied for the | | | . , , , , , | e last ten years on who in the |
| | | | | on deputation |
| basis. | | | (Name & Office | (Authorised signatory) Seal : |
| | | | | Date: |
| | | | | Annexure-5 |
| | INT | EGRITY CERTI | FICATE | |
| | | | | Report of |
| | | | | |
| basis, it is certified | that his/her integ | rity is beyond do | oubt. | |
| | (To be signe | ed by an officer | of the rank of Depu Name & Office Date: | ty Secretary or above) Seal : |

ए-60015/5/2021-ई-111 भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसंबर, 2021

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय, फरक्का बैराज परियोजना में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (35,400-112400/-) में सहायक के 5 (पांच) पदों को भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

कार्य दायित्वों का संक्षिप्त विवरण

अनुभाग अधिकारी द्वारा सौंपे गए स्थापना, सामान्य प्रशासन, सतर्कता, एस्टेट, प्रापण बजट, वित्तपोषण, समन्वय आदि से संबंधित फाइल कार्यों और फाइल प्रबंधन तथा फाइलों की आवा-जाही का ध्यान रखने से संबंधित दायित्व का निर्वहन करना।

3. पात्रता मानदंड

प्रतिनियुक्ति (अल्कालीन संविदा सहित): केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रन/सांविधिक संगठन/विश्व विद्यालयों के अधिकारी जो:

- (i) नियमित आधार पर सादृश पद धारण किए गए हुए हों।
- (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 (25,500-81,100) में 10 वर्षों की नियमित सेवा हो; किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री प्राप्त हो।

नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अविध केंद्र सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाहय संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध सामन्यतः 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी। -9-

नोट 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

नोट 3: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित की सीधी लाईन में हैं. वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति की अवधिः

प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

5. <u>आयुः</u>

प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्ति किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवदेन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिन तारीख पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

- 6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवां अनुभव और आयु निर्धारण की अंतिन तारीख आवदेन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।
- 7. किसी अधिकारी के चयन के पश्चात आवेदन वापस लेने अथवा कार्य भार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमित नहीं होगी; और यह प्रोयोजित करने वाले प्राधिकरण की जिन्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यम्कत करें।
- 8. चयनित अधिकारी के पास, कार्निक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा.सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-।।) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।
- 9. अनुलग्नक-। से IV में आवेदन, यह परिपत्र जारी होने अथवा रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से 60 दिन के अंदर महाप्रबंधन. फरक्का बैराज परियोजन, पी.ओ. फरक्का बैराज, जिला मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल) 742212 को पहुंच

जाने चाहिए। सभी आवेदनों की जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण विवरण से रहित आवेदनों को रद्द किया जा सकता है।

- 10. केवल ऐसे अधिकारियों/अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा; जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रपन्न में जीवन वृत (चार प्रतियों में) (ii) अधिकारी जो अवर सचिव के पद से कम न हो, से सत्यापित विगत पांच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) अनुलग्नक-3 में दिए प्रपन्न में सतकं स्वीकृति (iv) अनुलग्नक-4 के प्रपन्न के अनुसार पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई, बड़ी या छोटी शास्तियों का ब्यौरा, यदि कोई हो, और (v) अनुलग्नक-5 के अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो।
- 11. विज्ञापन का ब्यौरा और आवेदन प्रारूप एफबीपी की वेबसाइट <u>www.fbp.gov.in</u> से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

Stelly There

(ए.के.कौशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23714350

. अनुलग्नक-।

| 1 | पद का नाम | सहायक, फरक्का बैराज परियोजना |
|---|---|--|
| 2 | पदों की संख्या | 05 (पांच) |
| 3 | वर्गीकरण | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय |
| 4 | वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन | वेतन मेट्रिक्स में लेवल-6 (35400-112400/- रूपए) |
| 5 | प्रतिनियुक्ति की अवधि | प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस संगठन अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अवधि सहित 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |
| 6 | पद के कर्तव्य एवं दायित्व | अनुभाग अधिकारी द्वारा सौंपे गए स्थापना, सामान्य प्रशासन, सर्तकता, एस्टेट, प्रापण, बजट, वित्तपोषण, समन्वय आदि से संबंधित फाइल कार्यों और फाइल प्रबंधन तथा फाइलों के आवा-जाही का ध्यान रखने से संबंधित दायित्व का निर्वहन करना। |
| 7 | देतन एवं भते | चयनित अधिकारी के पास. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन तंख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। |
| 8 | पद के लिए आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और पात्रता | प्रतिनियुक्ति (अल्कालीन संविदा सहित): केंद्र सरकार या |

| ,—— | | |
|-----|-----|--|
| | | नोट 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने की अधिकतम |
| | | आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख |
| | | पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी। |
| | | नोट 3: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित की |
| | | सीधी लाईन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र |
| | | नहीं होगें। |
| | | · |
| 9 | आयु | प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्ति किए |
| | | जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवदेन प्राप्त होने की |
| | | निर्धारित अंतिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी। |

जीवन-वृत्त प्रपत्र

- नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)
 टेलीफोन नंबर
- 2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में)
- 3. केन्द्र सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख
- 4. शैक्षिक योग्यता
- 5. क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं। (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)

| अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव | अधिकारी की योग्यताएं/ अनुभव |
|--------------------------|-----------------------------|
| अनिवार्य | |
| वांछित | |

- 6 कृपया आप स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षा पूरी करते हैं
- 7. कालक्रमानुसार रोजगार के ब्यौरे (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा भली-भांति अधिप्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें ।) :

| कार्यालय/संस्था | धारित पद | ₹ | 1 | तक | वेतन बैंड में | कार्य का |
|-----------------|---------------|---|---|----|---------------|----------|
| /संगठन का | और सेवा / | | : | | वेतन और पद | स्वरूप |
| नाम | संवर्ग जिससे | | i | | की श्रेणी | |
| | यह संबंधित है | | ! | | | |
| | | | | | | |

- 8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात
 - (i) तदर्थ
 - (ii) स्थाई /अस्थाई आधार पर
 - (iii) वेतन बैंड में वेतन
 - (iv) आहरित ग्रेड वेतन
- 9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें
 - (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
 - (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि

- (ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम
- 10. वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण : कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं-
 - (क) केन्द्र सरकार
 - (ख) राज्य सरकार
 - (ग) स्वायत्त संगठन
 - (घ) सरकारी उपक्रम
 - (ङ) विश्वविद्यालय
- 11. क्या आप संशोधित वेतनमान ले रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें
- 12. वर्तमान में आहरित कुल मासिक परिलब्धियां
- 13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हों । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें।
- 14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।
- 15. अभ्युक्तियाँ

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

यह पुष्टि की जाती है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना उसके सेवा रिकार्ड से सत्यापित कर ली गई है और सही पायी गयी है। मूल कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर और मोहर

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-3

सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र

| पुष्टि की जाती है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्रीजिन्होंने |
|---|
| में प्रतिनियुक्ति के आधार पर के पद के लिए आवेदन किया है, के विरूद्ध न तो |
| कोई सतर्कता निकासी अथवा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक कार्रवाई लंबित है और न ही शुरू |
| किए जाने का विचार है। |
| |
| (प्राधिकृत अधिकारी) |
| नाम और कार्यालय की मोहर |
| दिनांक : |
| |
| |
| <u>अन्तर्गक-4</u> |
| |
| शास्ति प्रमाण-पत्र |
| |
| पुष्टि की जाती है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्री |
| में प्रतिनियुक्ति के आधार पर के पद के लिए आवेदन किया है, पर पिछले 10 |
| वर्षों में कोई छोटी/बड़ी शास्ति नहीं लगायी गयी है। |
| / |
| (प्राधिकृत अधिकारी) |
| नाम और कार्यालय की मोहर |
| दिनांक : |
| |
| |
| |
| <u>अनुतरनक-5</u> |
| सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र |
| डा./श्री/श्रीमती/सुश्रीमें प्रतिनियुक्ति के |
| आधार पर के पद के लिए आवेदन किया है, की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जांच करने |
| के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा में कोई संदेह नहीं है। |
| च वित्त का वित्त का का किया का |
| |

(उप सचिव अथवा उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है) नाम और कार्यालय की मोहर दिनांक : -17-

A-60015/5/2021-E-III Government of India Ministry of Jal Shakti

Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, Dated New Delhi, 22nd December 2021

Applications are invited for filling up 3 (three) posts of Assistant Engineer (Civil) in the Pay Matrix level -7 (Rs. 44900-142400/-) by deputation (including short -term contract) in Farakka Barrage Project, a subordinate office under MoJS. DoWR. RD&GR.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

Assistant Engineer (Civil) being head of the sub-division is responsible for supervision and execution of the works according to the norms and standards laid down in designs, drawings and estimates etc. He also takes measurements of the works and check works measured by his Junior Engineers. He examines all the standards measurement books, maintenance of buildings, structures, areas and equipments. He also submit work progress report and other reports required by Divisional Officer or higher authorities

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Officer under the Central Government or State Government or Union Territory or Public Sector Undertakings or Statutory Organisations or Universities and Recognised Research Institutions:

- (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department: or (b) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in the parent cadre or department; or
- (ii) Possessing a Degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2**: Period of deputation including short-term contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- Note 3: The maximum age-limit for recruitment by deputation including short-term contract shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of Central Government shall be not exceeding three years.

- 5. <u>AGE</u>: The maximum age limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- 6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.
- 7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

- 18
- 8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
- 9. Applications with full particulars of the applicant in Annexure-I to IV should reach to the General Manager, Farakka Barrage Project, P.O. Farakka Barrage. Dist. Murshidabad (West Bengal) 742212 within 60 days from the date of issue of this circular or publication of this advertisement in the Employment News whichever is later. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.
- Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma as given in <u>Annexure-2</u> (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance as given in <u>Annexure-3</u>(iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years as given in <u>Annexure-4</u> and (v) Integrity Certificate as given in <u>Annexure-5</u> and (vi) Cadre Clearance.
- 11. The details of advertisement and the application forms can also be downloaded from the FBP's website www.fbp.gov.in.

(A.K. Kaushik)

Under Secretary to the Government of India

Tel. 23714350

Name of Post

2. Number of Posts

3. Classification

Assistant Engineer (Civil). Farakka Barrage Project

03 (Three)

General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-

Ministerial.

4. Pay Band/Grade Pay

5 Period of deputation

Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.

The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of Central Government

shall be not exceeding three years.

6. Duties and responsibilities of the post

Assistant Engineer (Civil) being head of the subdivision is responsible for supervision and execution of the works according to the norms and standards laid down in designs, drawings and estimates etc. He also takes measurements of the works and check works measured by his Junior Engineers. He examines all the standards measurement books, maintenance of buildings, structures, areas and equipments. He also submit work progress report and other reports required by Divisional Officer or higher authorities

7. Pay & Allowances

The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II). dated 17.06.2010 (as

amended from time to time).

8. Gualifications,
Experiences and
Eligibility required for the
post

Officer under the Central Government or State Government or Union Territory or Public Sector Undertakings or Statutory Organisations or Universities and Recognised Research Institutions

(i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(b) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in the parent cadre or department; or

(ii) Possessing a Degree in Civil Engineering from a

recognised University or Institute.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including short-term contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for recruitment by deputation including short-term contract shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications

The maximum age limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

9. Age

Bio Data Proforma

- Name and address (in Block Letters):
 Telephone Number:
- 2. Date of Birth (in Christian era):
- 3. Date of retirement under Central Government Rules:
- 4. Educational Qualifications:
- 5. Whether educational and other qualifications required for the posts are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to those prescribed in the rules, state the authority for the same)

| Qualifications / Experience | Qualifications / Experience possessed by the Officer |
|-----------------------------|--|
| Required | |
| Essential | |
| Desirable | |

- 6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post.
- 7. Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

| Office/Institution/ | Post heid | From | To | Pay in the | Nature of |
|---------------------|-----------|------|-----|----------------|-----------|
| organisation | and | • | 1 : | pay band | duties |
| 1 - | service / | | | and | |
| • | cadre to | | · | classification | |
| | which it | 1 | | of post | 1 |
| | belongs | · | | | · |
| | | : | | i | |

- 8. Nature of present employment, i.e.,
 - (i) Ad-hoc basis
 - (ii) Regular / on temporary basis
 - (iii) Pay in the Pay Band
 - (iv) Grade Pay drawn
- 9. In case the present employment is held on deputation / contract basis, please state:
 - (a) The date of initial appointment
 - (b) Period of appointment on deputation / contract
 - (c) Name of the parent office/organisation to which you belong
- 10. Additional details about present employment. Please state whether working under:
 - (a) Central Government
 - (b) State Government
 - (c) Autonomous organisation
 - (d) Government Undertaking
 - (e) Universities
- 11. Are you in the Revised Pay Structure? If yes, give the Date from which the revision took place and also Indicate the pre-revised scale
- 12. Total emoluments per month now drawn:
- 13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.
- 14. Whether belonging to SC/ST
- 15. Remarks

Date:

It is certified that information furnished by the applicant is verified with his # her service record and found correct.

Countersigned with office seal by the authorized signatory of the parent office

Signature of the Competent Authority

VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE

| nending Of | disciplinary proceedings or criminal proceedings is either contemplated against |
|--|---|
| Dr/Shri/Smt/Me | who |
| has applied for the post of _ | in the on deputation |
| basis. | |
| | |
| | (Authorised signatory) |
| | Name & Office Seal : |
| | Date: |
| | <u>Annexure-4</u> |
| <u>N</u> | D PENALTY CERTIFICATE |
| Dr /Shri/Smt /Ms | enalty has been imposed during the last ten years on who |
| has applied for the post of | in the on deputation |
| basis. | |
| | (Authorised signatory) |
| | Name & Office Seal : |
| | Date: |
| | Annexure-5 |
| | INTEGRITY CERTIFICATE |
| | |
| After scrutinizing | Annual Confidential Report of who |
| | in the |
| mas applied for the poet of | on deputation |
| basis, it is certified that his/her in | |
| | |
| (To be s | igned by an officer of the rank of Deputy Secretary or above) |

Name & Office Seal: Date:

ए-60015/5/2021-ई-।।।

भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसंबर, 2021

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय, फरक्का बैराज परियोजना में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (44,900-142400/-) में सहायक अभियंता (सिविल) के 3 (तीन) पदों को भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य दायित्वों का संक्षिप्त विवरण

सहायक अभियंता उप-प्रभाग के मुखिया के नाते डिजाइनों, ड्राइंग और अनुमानों आदि के लिए निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश रखना होगा और कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा निर्माण कार्यों की पैमाईश की जांच करनी होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं, क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वह प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार्य प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।

3. पात्रता मानदंड

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक संगठन या विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के तहत ऐसे अधिकारी: जो:

- (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद धारण किए गए हुए हों; या (ख) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मेंट्रिक्स के लेवल-6 (35,400-112400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हों; या
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक सिविल इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त हो।

194/

नोट 1: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित की सीधी लाईन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नित द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगा।

नोट 2: अल्पकालिक संविदा सिहत प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

नोट 3: अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति की अवधि:

प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पट पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों से अधिक नहीं होती।

5. <u>आयु:</u>

प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्ति किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवदेन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

- 6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु निर्धारण की अंतिम तारीख आवदेन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।
- 7. किसी अधिकारी के चयन के पश्चात आवेदन वापस लेने अथवा कार्य भार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रोयोजित करने वाले प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करें।
- 8. चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा.सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-।।) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड

_25/

वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।

- 9. अनुलग्नक-। से IV में आवेदन, यह परिपत्र जारी होने अथवा रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से 60 दिन के अंदर महाप्रबंधन, फरक्का बैराज परियोजन, पी.ओ. फरक्का बैराज. जिला मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल) 742212 को पहुंच जाने चाहिए। सभी आवेदनों की जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। सरकारी और सावंजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण विवरण से रहित आवेदनों को रदद किया जा सकता है।
- 10. केवल ऐसे अधिकारियों/अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा: जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रपत्र में जीवन वृत (चार प्रतियों में) (ii) अधिकारी जो अवर सचिव के पद से कम न हो उस से सत्यापि विगत पांच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) अनुलग्नक-3 में दिए प्रपत्र में सतकं स्टीकृति (iv) अनुलग्नक-4 के प्रपत्र के अनुसार पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई, बड़ी या छोटी शास्तियों का व्यौरा, यदि कोई हो और (v) अनुलग्नक-5 के अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो।
- 11. विज्ञापन का ब्यौरा और आवेदन प्रारूप एफबीपी की वेबसाइट <u>www.fbp.gov.in</u> से डाउनलोड भी कियाजा सकता है।

(ए.के.कौशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23714350

| अन्त | ग्नक-। |
|------|--------|
| | |

| पदं को नाम पहायक अभियंता (सिविल), फरक्का बैराज परियोजना पदों की संख्या वर्गाकरण सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित. गैर-अनुसचिवंय वेतन बैंडं/ ग्रेंड वेतन वेतन मेंट्रिक्स में लेवल-7 (44900-142400/- रूपए) प्रतिनियुक्ति की प्रतिनियुक्ति की अविध, इस संगठन अथवा केन्द्र सरकार वेकिसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहर धारित अन्य संवर्ग-वाहय पद की प्रतिनियुक्ति अविधि सहिर उर्वर्ष से अधिक नहीं होगी। पद के कर्तव्य एवं सहायक अभियंता उप-प्रभाग का नुखिया होते हुए डिजाइनों इंग्रंग और अनुमानों आदि में दिए गए मानदंडों और मातक के अनुसार कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लि जिन्मेदार हैं। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश और किष्म होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं के अभियंताओं द्वारा कार्यों की पैमाईश और कारक होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं केंग्रें एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। ययनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वेदिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) मत आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान अपना येड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) मत अनुसार अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य सार्वजिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक संगठन य विश्वविद्यालय और मान्यता प्रपत्न अनुसंधान संस्थाओं वेतहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित अधार पर साइश पर | | | अनुसरन |
|---|--------------|-----------------------|---|
| पदों की संख्या 03 (तीन) वर्गीकरण सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवंव वेतन मेंद्रिक्स में लेवल-7 (44900-142400/- रूपए) प्रितिनयुक्ति की प्रितिनयुक्ति की अविध, इस संगठन अथवा केन्द्र सरकार है किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहर धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अविध सहिर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पद के कर्तट्य एवं सहायक अभियंता उप-प्रभाग का मुखिया होते हुए डिजाइनी दायित्व इंड्रंग और अनुमानों आदि में दिए गए मानदंडों और मानक के अनुसार कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लि जिम्मेदार हैं। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश और कनिष्ण अभियंताओं द्वारा कार्यों की पैमाईश की जांच भी करने होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों दवारा मांगी गई कार प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों दवारा मांगी गई कार प्रमति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। प्रमाग अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान वे अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान वे अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान वे अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। अनुसार अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। करने लिए आवश्यक अर्देता या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सर्वजिक्स क्षेत्र उपनय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सर्वजिक्स के अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर साइश पत | | | सहायक अभियंता (सिविल), फरक्का बैराज परियोजना |
| 4 वेतन बेंड! ग्रेंड वेतन वेतन मेट्रिक्स में लेवल-7 (44900-142400/- रूपए) 5 प्रतिनियुक्ति की प्रतिनियुक्ति की अविध, इस संगठन अथवा केन्द्र सरकार है किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहत धारित अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहत धारित अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहत धारित अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति अविध सहित वर्ष से अधिक नहीं होगी। 6 पद के कर्तव्य एवं सहायक अभियंता उप-प्रभाग का मुख्या होते हुए डिजाइनों हांग और अनुमानों आदि में दिए गए मानदंडों और मानक के अनुसार कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लि जिम्मेदार हैं। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश की जांच भी करने होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियां द्वारा मांगी गई कार प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। 7 वेतन एवं भते चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत अमुसार अपना ग्रेड वेतन निर्मारित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान अपना वेतन निर्मारित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान अपना वेतन निर्मारित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान अपना वेतन निर्मारित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान अपना वेतन निर्मारित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान अपना वेतन निर्मारित करने सांच्या संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर साइश पद | 2 | | |
| वितन बैंड/ ग्रेड वेतन वेतन मेट्रिक्स में लेवल-7 (44900-142400/- रूपए) प्रतिनियुक्ति की प्रतिनियुक्ति की अविध इस संगठन अथवा केन्द्र सरकार है किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहर धारित अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहर धारित अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति अविध सहिर उवर्ष से अधिक नहीं होगी। पद के कर्तव्य एवं सहायक अभियंता उप-प्रभाग का मुख्या होते हुए डिजाइनी दायित्व इंइंग और अनुमानों आदि में दिए गए मानदंडों और मानक के अनुसार कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लि जिम्मेदार हैं। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश और किष्ण अभियंताओं द्वारा कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लि जिम्मेदार हैं। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश और किष्ण अभियंताओं द्वारा कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लि अभियंताओं द्वारा कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लि अभियंताओं द्वारा कार्यों के प्रमाईश की जांच भी करने होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं क्षेत्रों एवं उपन्य सिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करगा। पर्यानत सिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करगा। पर्यानत अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना वेतन निर्धारित कराने और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत अपना वेतन निर्धारित कराने वा विकल्प होगा। अपना वेतन निर्धारित कराने वा विकल्प होगा। अपना वेतन निर्धारित कराने वा विकल्प होगा। वेश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर साइश पद | 3 | वर्गीकरण | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, गैर-अनसचिवीय |
| प्रतिनियुक्ति की प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस संगठन अथवा केन्द्र सरकार व किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहर धारित अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहर धारित अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति अवधि सहिर उवर्ष से अधिक नहीं होगी। पद के कर्तव्य एवं सहायक अभियंता उप-प्रभाग का मुख्या होते हुए डिजाइनें दायित्व इंग्डंग और अनुमानों आदि में दिए गए मानदंडों और मानक के अनुसार कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लि जिम्मेदार हैं। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश और किन्छ अभियंताओं द्वारा कार्यों की पैमाईश की जांच भी करने होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। ययनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) मत अमुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) मत अमुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान अभ्या प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान अभ्या प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान अमुसार अपना ग्रेड वेतन और प्राविधिक संगठन य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सार्विधिक संगठन य विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर साइश पद | 4 | वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन | |
| किसी अन्य संगठल/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहर धारित अन्य संवर्ग-वाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अवधि सहिर उवर्ष से अधिक नहीं होगी। पद के कर्तव्य एवं सहायक अभियंता उप-प्रभाग का मुखिया होते हुए डिजाइनों हाईग और अनुमानों आदि में दिए गए मानदंडों और मानक के अनुसार कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लि जिम्मेदार है। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश और किन्छ अभियंताओं द्वारा कार्यों की पैमाईश की जांच भी करने होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। ययनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्त आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान के अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। यद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य सर्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादश पद | 5 | प्रतिनियुक्ति की | प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस संगठन अथवा केन्द्र सरकार के |
| धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अविधि सहित् 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 6 पद के कर्तव्य एवं सहायक अभियंता उप-प्रभाग का मुखिया होते हुए डिजाइनों दायित्व इंड्रंग और अनुमानों आदि में दिए गए मानदंडों और मानक के अनुसार कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लि जिम्मेदार है। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश और किन्छ अभियंताओं द्वारा कार्यों की पैमाईश की जांच भी कर्र्न होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। 7 वेतन एवं भत्ते चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) मत अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) मत अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य पत्रता करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान व अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 6श्विवद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादश पद | | अवधि | किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तरंत पहले |
| 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 4 पद के कर्तव्य एवं सहायक अभियंता उप-प्रक्षाग का मुख्या होते हुए डिजाइनों दायित्व इंग्डंग और अनुमानों आदि में दिए गए मानदंडों और मानक के अनुसार कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लि जिम्मेदार है। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश और किनिष् अभियंताओं द्वारा कार्यों की पैमाईश की जांच भी करने होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। 7 वेतन एवं भते चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्त अम्बा वेतन निर्धारित कराने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान अभाहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान अम्बा वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विक्षाग में नियमित आधार पर साइश पद | | | धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अवधि सहित |
| पद के कर्तथ्य एवं सहायक अभियंता उप-प्रभाग का मुखिया होते हुए डिजाइलों दायित्व इग्रंग और अनुमानों आदि में दिए गए मानदंडों और मानक के अनुसार कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लि जिम्मेदार हैं। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश और किन्छा अभियंताओं द्वारा कार्यों की पैमाईश और किन्छा अभियंताओं द्वारा कार्यों की पैमाईश की जांच भी करने होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। 7 वेतन एवं भते चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्त अमुसार अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर साइश पद | | | 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |
| दायत्व इडिंग और अनुमानों आदि में दिए गए मानदंडों और मानक के अनुसार कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिंग जिम्मेदार हैं। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश और किन्छ अभियंताओं द्वारा कार्यों की पैमाईश की जांच भी करने होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार प्रणति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। 7 वेतन एवं भत्ते चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान के अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक संगठन य विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर साइश पद | 6 | i | सहायक अभियंता उप-प्रभाग का मुखिया होते हए डिजाइनों, |
| के अनुसार कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लि जिम्मेदार हैं। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश और किन्छ अभियंताओं द्वारा कार्यों की पैमाईश की जांच भी करने होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। 7 वेतन एवं भते चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यातय ज्ञापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत अम्बा देतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक संगठन य विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर साइश पद | | दायित्व | ड्राइंग और अनुमानों आदि में दिए गए मानदंडों और मानकों |
| जिस्मेदार है। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश और किन्छ अभियंताओं द्वारा कार्यों की पैमाईश की जांच भी करने होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। 7 वेतन एवं भते चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यात्य ज्ञापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्त आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य पात्रता विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद | | | के अनुसार कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए |
| अभियंताओं द्वारा कार्यों की पैमाईश की जांच भी करने होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। 7 वेतन एवं भते चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान के अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य सर्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादश पद | | | जिम्मेदार है। उसे निर्माण कार्यों की पैमाईश और कनिष्ठ |
| होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। 7 वेतन एवं भत्ते चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादश पद | | | अभियंताओं द्वारा कार्यों की पैमाईश की जांच भी करनी |
| क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वा प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। 7 वेतन एवं भते चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य अर्हताएं, अनुभव और सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य पात्रता विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; | | . , | होगी। उन्हें मानक मापक पुस्तकों तथा भवनों, संरचनाओं, |
| प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। वेतन एवं भत्ते चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्त आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य अर्हताएं, अनुभव और सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य पात्रता विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादश पद | | | क्षेत्रों एवं उपस्करों के रख-रखाव की जांच करनी होगी। वह |
| प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। वेतन एवं भत्ते चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वे दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्त आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य अर्हताएं, अनुभव और सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य पात्रता विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादश पद | | | प्रभाग अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई कार्य |
| दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009 स्थापना (वेतन II) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य अर्हताएं, अनुभव और सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य पात्रता विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद | | | प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। |
| स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) वे अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य अर्हताएं, अनुभव और सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य पात्रता विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद | 7 | वेतन एवं भते | चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के |
| अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य अर्हताएं, अनुभव और सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य पात्रता विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद | | | दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009- |
| आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान है अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य अहंताएं, अनुभव और सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य पात्रता विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद | | | स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) के |
| अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प होगा। 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य अर्हताएं, अनुभव और सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य पात्रता विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद | | | अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भता |
| 8 पद के लिए आवश्यक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र य अर्हताएं, अनुभव और सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य पात्रता विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद | | | आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में |
| अर्हताएं, अनुभव और सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन य पात्रता विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद | | | |
| पात्रता विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं वे तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद | 8 | पद के लिए आवश्यक | केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या |
| तहत ऐसे अधिकारी; जो; (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद | | अहेताएं, अनुभव और | सार्वजनिक क्षेत्र उप्रक्रम या सांविधिक संगठन या |
| (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर साहश पद | | पात्रता | विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के |
| | : | | |
| | ļ | | (i) (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादश पद |
| | | | धारण किए गए हुए हों; या |
| (ख) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-(| | | (ख) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 |

.

-

| 22 / | |
|--------------|--|
| ノスナ | |
| | |
| | |
| | (25 400 110(00) \$ 5 5 |
| | (35,400-112400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के |
| | पश्चात् 5 वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो; या |
| | (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक |
| | सिविल इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त हो। |
| | |
| | नोट 1: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित की |
| | सीधी लाईन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र |
| | नहीं होगें। इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा |
| | नियुक्ति पर विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगा। |
| | |
| | नोट 2: अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि |
| | केंद्र तरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन या |
| | विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य |
| | संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्षों से |
| | अधिक नहीं होगी। |
| ; ! ; | नोट 3: अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर भर्ती |
| 1 1 | किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदम प्राप्त होने की |
| | निर्धारित अंतिम तारीख पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी। |
| 9 आयु | प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्ति किए |
| | जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवदेन प्राप्त होने की |
| | निर्धारित अंतिम तारीख पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी। |

अनुलग्नक-2

जीवन-वृत्त प्रपन्न

- नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)
 टेलीफोन नंबर
- 2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में)
- 3. केन्द्र सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख
- 4. शैक्षिक योग्यता
- 5. क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं। (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)

| अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव | अधिकारी की योग्यताएं/ अनुभव |
|--------------------------|-----------------------------|
| अनिवार्य | |
| वांछित | |

- 6. कृपया आप स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षा पूरी करते हैं
- 7. कालक्रमानुसार रोजगार के ब्यौरे (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा भली-भांति अधिप्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें ।) :

| कार्यातय/संस्था | धारित पद | से | तक | वेतन बैंड में | कार्य का |
|-----------------|---------------|----|----|---------------|----------|
| /संगठन का | और सेवा / | | | वेतन और पद | स्वरूप |
| नाम | संवर्ग जिससे | | | की श्रेणी | |
| : | यह संबंधित है | | | | |
| | | | | | |

- 8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात
 - (i) तदर्थ
 - (ii) स्थाई /अस्थाई आधार पर
 - (iii) वेतन बैंड में देतन
 - (iv) आहरित ग्रेड वेतन
- 9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें
 - (क) प्रारंभिक निय्क्ति की तारीख
 - (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि

- (ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम
- वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण :
 कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं-
 - (क) केन्द्र सरकार
 - (ख) राज्य सरकार
 - (ग) स्वायत्त संगठन
 - (घ) सरकारी उपक्रम
 - (ङ) विश्वविद्यालय
- 11. क्या आप संशोधित वेतनमान ले रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें
- 12. वर्तमान में आहरित कुल मासिक परिलब्धियां
- 13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हों । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें।
- 14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।
- 15. अभ्युक्तियाँ

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

यह पुष्टि की जाती है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना उसके सेवा रिकार्ड से सत्यापित कर ती गई है और सही पायी गयी है।

मूल कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर और मोहर

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-3

सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र

| पुष्टि की जाती है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्रीजिन्होंने |
|--|
| में प्रतिनियुक्ति के आधार पर के पद के लिए आवेदन किया है, के विरूद्ध न तो कोई सतर्कता निकासी अथवा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक कार्रवाई लंबित है और न ही शुरू किए जाने का विचार है। |
| (प्राधिकृत अधिकारी) नाम और कार्यालय की मोहर दिनांक : |
| अनुलग्नक-4 |
| शास्ति प्रमाण-पत्र |
| पुष्टि की जाती है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्री जिन्होंने |
| (प्राधिकृत अधिकारी) नाम और कार्यालय की मोहर दिनांक : |
| <u>अनुलग्नक-5</u> <u>सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र</u> |
| डा./श्री/श्रीमती/सुश्री |
| |

(उप सचिव अथवा उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है) नाम और कार्यालय की मोहर दिनांक :